न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार, RAS

अपील संख्या : 187/2018

1. भगवाना पुत्र रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–सिंगोद कलां, तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।
2. सोहनलाल पुत्र रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–सिंगोद कलां, तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।
3. अर्जुनलाल पुत्र रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–सिंगोद कलां, तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।
4. शेकुरी पुत्री रामनाथ पत्नी भगवानसहाय, जाति–जाट, निवासी–महरोली, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर।
5. कमली पुत्री रामनाथ पत्नी भूराराम, जाति–जाट, निवासी–गोविन्दगढ, तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।
6. मनभर पुत्री रामनाथ पत्नी रामेश्वर, जाति–जाट, निवासी–रींगस, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर।
7. बंशी पुत्र गिरधारी माता सोनी देवी पुत्री रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–महरोली, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर।
8. हंसराज पुत्र गिरधारी माता सोनी देवी पुत्री रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–महरोली, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर।
9. सरोज पुत्री गिरधारी माता सोनी देवी पुत्री रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–महरोली, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर।
10. नन्छी पुत्री गिरधारी माता सोनी देवी पुत्री रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–महरोली, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर।
11. मोहनी पुत्री गिरधारी, जाति–जाट, निवासी–महरोली, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. सूरजा पुत्र भूरा, जाति–जाट, निवासी–सिंगोद कलां, तहसील–चौमूं, जिला जयपुर।
2. फूलाराम पुत्र छोटू, जाति–जाट, निवासी–सिंगोद कलां, तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।
3. प्रभू पुत्र छोटू, जाति–जाट, निवासी–सिंगोद कलां, तहसील–चौमूं, जिला जयपुर।
4. भागू पुत्र रूघा, जाति–जाट, निवासी–सिंगोद कलां, तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।
5. लक्ष्मण उर्फ लिछमण, जाति–जाट, निवासी–सिंगोद कलां, तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।
6. नोरडा पुत्र बालू, जाति–जाट, निवासी–सिंगोद कलां, तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।
7. रामेश्वर पुत्र बालू, जाति–जाट, निवासी–सिंगोद कलां, तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।
8. नाथ्या पुत्र बालू, जाति–जाट, निवासी–सिंगोद कलां, तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।
9. बनवारी पुत्र बालू, जाति–जाट, निवासी–सिंगोद कलां, तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।

Scanned with CamScanner

10. गोठी पत्नी बालू, जाति–जाट, निवासी–सिंगोद कलां, तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।
11. नाथू पुत्र हीरा, जाति–जाट, निवासी–सिंगोद कलां, तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

13. गोविन्दराम पुत्र रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–ग्राम सिंगोदकलां तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।
14. झाबर पुत्र रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–ग्राम सिंगोदकलां तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विरूद्ध विभाजन आदेश तहसीलदार, चौमू दिनांक 28.04.2014)

उपस्थितः–

1. श्री भगवती सिंह, अपीलान्ट्स की ओर से ।
2. श्री अशुंमान सक्सैना, रेस्पोडेन्ट सं0 1, 2, 3, 4, 6 लगा0 11 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
4. तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
5. पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 30.5.2019

यह अपील अपीलान्ट द्वारा ग्राम सिंगोदकलां तहसील चौमूं की वादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार, चौमूं द्वारा जारी विभाजन आदेश दिनांक 28.04.2014 के विरूद्ध पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा तहसीलदार, चौमूं से प्रकरण से सबंधित मूल रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को जारी नोटिस बाद तामिल शमिल मिसल है। तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सिंगोदकलां, तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर में आराजी खाता सं0 275 ख0नं0 671 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 672 रकबा 0.60 हे0, ख0नं0 677 रकबा 1.01 हे0, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.65 हे0 भूमि है जिसका राजस्व रिकॉर्ड अपीलान्ट सं0 1 लगा0 3 तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 14 के नाम हिस्सा 1/2 भाग, रेस्पोडेन्ट सं0 5 का हिस्सा 1/4 भाग, रेस्पोडेन्ट सं0 4 का हिस्सा 1/4 भाग दर्ज था तथा खाता सं0 355 के खसरा नं0 3 रकबा 0.83 हे0 ख0नं0 4 रकबा 0.90 हे0, ख0नं0 5 रकबा 0.18 हे0, ख0नं0 6 रकबा 0.29 हे0, ख0नं0 7 रकबा

Scanned with CamScanner

1.18 हे0, ख0नं0 8 रकबा 1.24 हे0, ख0नं0 9 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 10 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 11 रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 12 रकबा 0.82 हे0, ख0नं0 673 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 673/2206 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 674 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 675 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 676 रकबा 0.32 हे0, ख0नं0 678 रकबा 1.79 हे0, ख0नं0 680 रकबा 0.80 हे0, ख0नं0 681 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 682 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 696 रकबा 1.06 हे0, कुल किता 21 का कुल रकबा 10.59 हे0 था। जिसमें राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट्स सं0 1 लगा0 6 के पिता अपीलान्ट सं0 7 लगा0 11 के नाना रामनाथ पुत्र बालू के नाम हिस्सा 1/2 भाग रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम हिस्सा 1/10 भाग, रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 का हिस्सा 1/10 भाग, रेस्पोडेन्ट सं0 4 का हिस्सा 1/20 भाग, रेस्पोडेन्ट सं0 6 लगा0 9 का हिस्सा 1/10 भाग, रेस्पोडेन्ट सं0 5 का हिस्सा 1/20 भाग राजस्व रिकार्ड में दर्ज था एवं खाता सं0 356 ख0नं0 13 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 14 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 16 रकबा 0.37 हे0, ख0नं0 17 रकबा 0.23 हे., ख0नं0 18 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 19 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 20 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 21 रकबा 1.74 हे0, ख0नं0 22 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 684 रकबा 0.43 हे0, ख0नं0 685 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 686 रकबा 0.25 हे0, ख0नं0 687 रकबा 0.14 हे., ख0नं0 688 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 689 रकबा 0. 49 हे0, ख0नं0 690 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 691 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 692 रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 693 रकबा 0.55 हे0, ख0नं0 694 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 695 रकबा 0.12 हे0, कुल किता 21 का कुल रकबा 6.01 हे0 था जो राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट सं0 1 लगा0 6 के पिता अपीलान्ट सं0 7 लगा0 11 के नाना रामनाथ पुत्र बालू के हिस्सा 1/2 भाग, रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 का हिस्सा 1/8 भाग, रेस्पोडेन्ट सं0 6 लगा0 9 का हिस्सा 1/8 भाग, रेस्पोडेन्ट सं0 4 का हिस्सा 1/16 भाग, रेस्पोडेन्ट सं0 11 का हिस्सा 1/8 भाग, रेस्पोडेन्ट सं0 5 का हिस्सा 1/16 भाग राजस्व रिकार्ड में दर्ज था।

उपरोक्त वर्णित आराजीयात खाता सं0 355 व 356 में कुल रकबा 16.60 हे0 में हिस्सा 1/2 भाग राजस्व रिकार्ड में दर्ज था जिसके मुताबिक उसके हिस्से में 8.30 हे0 भूमि थी तथा अपीलान्ट सं0 1 लगा0 3 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 14 के नाम खाता सं0 275 रकबा 1.65 हे0 में हिस्सा 1/2 भाग में 0.825 हे0 भूमि राजस्व रिकार्ड में थी। रामनाथ पुत्र बालू के अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 14 के वारिसान है।

रेस्पोडेन्ट सं0 4 व 5 ने व रामनाथ पुत्र बालू ने आपस में भूमि की अदला बदली कर रखी थी जिसमें ख0नं0 672 रकबा 0.60 हे0, ख0नं0 677 रकबा 1.01 हे0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.61 हे0 भूमि का हिस्सा 1/2 भाग का कब्जा संभाला रखा था तथा उसके बदले में ख0नं0 3 रकबा 0.83 हे0, ख0नं0 687 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 688 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 689 रकबा 0.49 हे0, ख0नं0 690 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 691 रकबा 0.11 हे0, कुल किता 6 का कुल रकबा 1.65 हे0 भूमि का हिस्सा 1/2 भाग रामनाथ पुत्र बालू ने रेस्पोडेन्ट सं0 4 व 5 को संभला रखा था तथा अपीलान्ट सं0 1 लगा0 3 तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 14 की भूमि ख0नं0 671 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 672 रकबा 0.60 हे0, कुल किता 2 का हिस्सा 1/2 भाग रेस्पोडेन्ट सं0 6 लगा0 9 को संभला रखा था जिसके बदले में रेस्पोडेन्ट सं0 6 लगा0 9 की

Scanned with CamScanner

भूमि ख0नं0 674 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 675 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 676 रकबा 0.32 हे0, ख0नं0 678 रकबा 1.79 हे0, ख0नं0 679 रकबा 0.11 हे0, कुल किता 5 का कुल रकबा 2.30 हे0 का हिस्सा 1/10 भाग अपीलान्ट सं0 1 लगा0 3 व रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 14 ने संभाल रखा था।

अपीलान्ट सं0 1 लगा0 3 व रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 14 व रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 10 व 11 ने रिकार्ड दुरूस्थी हेतु वादग्रस्त भूमि की अदला बदली के लिये दिनांक 23.04.2014, 24.04.2014 व 25.04.2014 को तहसील कार्यालय में आये और अदला बदली भूमि के अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर कर दिये, जिसकी आड़ में रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार, चौमूं से मिलिभगत कर विभाजन करवा लिया, जो आदेश दिनांक 28.04.2014 को रेस्पोडेन्ट सं0 12 ने विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिये।

अपीलान्ट ने बैंक से ऋण लेने के लिए जमाबंदी की नकल लेकर ऋण लिया जो पहले से जमीन कम होने के कारण बैंक द्वारा ऋण राशि कम देने पर अपीलान्ट द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क कर विनमय पत्र की नकल लेने पर यह ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर दिया गया है। इस संबंध में अपील हेतु अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया अधिवक्ताओं की हडताल के कारण अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 01.10.2014 को नकल प्राप्त की गई। दिनांक 28.04.2014 से 01.10.2014 के मध्य ज्ञानाभाव के कारण देरी होने पर समय को कन्डोन करने के लिए धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए दिनांक 16.12.2014 को अपील पेश की गई।

रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता द्वारा अपील का जवाब पेश नही किया तथा सीधे ही बहस करने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम सिंगोदकलां, तहसील–चौमूं की खाता सं0 355, 356 व 275 की भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स की शामिलाती कृषि भूमि थी। रेस्पोडेन्ट सं0 4 व 5 ने व रामनाथ पुत्र बालू ने आपस में भूमि की अदला बदली कर रखी थी जिसमें ख0नं0 672 रकबा 0.60 हे0, ख0नं0 677 रकबा 1.01 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.61 हे0 भूमि का हिस्सा 1/2 का कब्जा संभला रखा था तथा उसके बदले में ख0नं0 3 रकबा 0.83 हे0, ख0नं0 687 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 688 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 689 रकबा 0.49 हे0, ख0नं0 690 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 691 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.65 हे0 भूमि का 1/2 भाग रामनाथ पुत्र बालू ने रेस्पोडेन्ट सं0 4 व 5 को संभला रखा था। अपीलान्ट सं0 1 लगा0 3 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 14 ख0नं0 671 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 672 रकबा 0.60 हे0 कुल किता 2 हिस्सा 1/2 भाग रेस्पोडेन्ट सं0 6 लगा0 9 को संभला रखा था। जिसके बदले में रेस्पोडेन्ट सं0 6 लगा0 9 की भूमि ख0नं0 674 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 675 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 676 रकबा 0.32 हे0, ख0नं0 678 रकबा 1.79 हे0, ख0नं0 679 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.30 हे0 का 1/10 भाग अपीलान्ट सं0 1 लगा0 3 व रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 14 ने संभाल रखा था।

उक्त अदला बदली की भूमि के रिकार्ड को दुरूस्त कराने हेतु अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट तहसील कार्यालय में जा कर अदला बदली की भूमि के संबंध में तैयार किये गये विनिमय पत्र पर दिनांक 24.04.2014 को अगूंठा निशानी व

Scanned with CamScanner

हस्ताक्षर कर दिये जिसकी आड में रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार, चौमूं से मिली भगत कर दिनांक 28.04.2014 को धोखे से हमारे सहमति के हस्ताक्षर कराकर भूमि का विभाजन करवा लिया गया। आपसी सहमति से प्रस्तुत किये गये विभाजन पत्र के संबंध में ना तो नियमानुसार पटवारी से रिपोर्ट ली गई ना ही तहसील में प्राप्त विभाजन पत्र को तहसील रिकार्ड में कहीं रिसीट किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा तहसीलदार, चौमूं से मिली भगत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में विनिमय पत्र की आड में धोखे से विभाजन पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिये गये जबकि उनको वादग्रस्त भूमि के विभाजन की जानकारी ही नही थी। ऐसे में सहमति से हस्ताक्षर कराने का प्रश्न ही नही उठता है। उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि में उनके हिस्से की भूमि के लिए ऋण हेतु बैंक में आवदेन करने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट सं0 12 (तहसीलदार, चौमूं) ने उनके हिस्से की रिकार्ड में 9.12 हे0 भूमि में से कम करके विभाजन के बाद 3.89 हे0 भूमि उनके नाम कर दी। इस प्रकार तहसीलदार, चौमूं द्वारा दिनांक 28.04.2014 को जारी विभाजन आदेश से अपीलान्ट के हिस्से की 5.23 हे0 भूमि कम कर दी गई। विनिमय पत्र से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट का कब्जा ख0नं0 672, 677 पर था जिसके कारण ही विनिमय पत्र बनाया गया था जबकि विभाजन पत्र में उक्त दोनों नम्बर ही अपीलान्ट के हक में नही रहे। तहसीलदार, चौमूं द्वारा किया गया विभाजन कब्जे के विपरीत है। खाता सं0 356 में ख0नं0 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 684, 685, 686, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695 कुल किता 21 कुल रकबा 6.00 हे0 था जिसमें अपीलान्ट सं0 1 लगा0 6 व रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 14 के पिता व अपीलान्ट सं0 7 लगा0 11 के पिता रामनाथ पुत्र बालू के हिस्से में 3.00 हे0 भूमि थी, सम्पूर्ण खाते में से एक इंच भूमि भी विभाजन में नही रखी जबकि रामनाथ पुत्र बालू का कब्जा ख0नं0 17, 21, 22, 684, 685, 686, 687 पर था जिसके बावजूद कब्जे से विपरीत जा कर विभाजन किया गया है तथा सम्पूर्ण भूमि में से ही हिस्सा खत्म कर दिया गया। उक्त अपील ज्ञानाभाव के कारण देरी से प्रस्तुत अपील को कन्डोन करते हुए धोखे से किये गये विभाजन पत्र एवं विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किये गये आदेश एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किये गये निर्णय को खारिज किया जावें।

वकील अपीलान्ट द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

1. 2016 (2) आर.आर.टी 966
2. 2016 (2) आर.आर.टी. 969

विद्वान् वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स द्वारा किया गया विभाजन आपसी सहमति से किया गया विभाजन है। उभयपक्ष सअभिधारी व्यक्ति है तथा इनके द्वारा दिनांक 25.04.2014 को तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर सद्भाव पूर्वक आपसी सहमति से विभाजन पत्र पर अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी किये है। उभयपक्षों द्वारा सहमति से अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर करने के पश्चात् पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का सिंगोदकलां एवं भू.अ.नि. सिंगोदखुर्द द्वारा दिनांक 26.04.2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसके पश्चात् तहसीलदार के समक्ष उभयपक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से हुये विभाजन पत्र पर हस्ताक्षर किये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के

Scanned with CamScanner

अनुसार सहमति से विभाजन पत्र जारी किया गया। तहसीलदार, चौमूं को राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955 की अध्याय 4 में उल्लेखित नियम 18 के तहत सहमति से हुए विभाजन के आधार पर विभाजन करने का अधिकार है। इसमें तकनीकि बिन्दुओं का समावेश किया जाना उचित नही है। अपीलान्ट द्वारा आपसी सहमति से विभाजन पत्र पर हस्ताक्षर किये है। अतः उनके द्वारा यह आक्षेपित करना कि उन्हे धोखे में रखकर हस्ताक्षर कराये गये है उचित नही है। आपसी सहमति से सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर किया गया विभाजन पत्र विधि अनुरूप है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

वकील रेस्पोडेन्स् द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

1. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील टी.ए./2727/2014 /भरतपुर उनवानी निहालसिंह बनाम प्यारेलाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2014
2. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दायर निगरानी सं. 76/कोटा/82 उनवानी गलेश बनाम भैरू में पारित निर्णय दिनांक 02.02.1988

पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार, चौमूं द्वारा पारित आदेश विधि अनुरूप है। सभी पक्षकारों द्वारा आपसी रजामंदी से हस्ताक्षर कर समस्त दस्तावेजों पर आपसी सहमति से हस्ताक्षर करने के उपरान्त तहसीलदार, चौमूं द्वारा दिनांक 28.04.2014 को विभाजन पत्र जारी किया गया है, जो विधि अनुरूप है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण निरस्तनीय है। अपील अपीलान्ट निरस्त की जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस को गौर से सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के विनमय का आवेदन तहसील कार्यालय में दिनांक 24.04.2014 को प्राप्त हुआ है तथा उसी दिन ही विनिमय पत्र जारी किया गया है। जो उपपंजीयक गोविन्दगढ़ के यहां दिनांक 25.04.2014 को पंजीबद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त विभाजन पत्र का प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय में किस दिनांक को प्राप्त हुआ, यह कब तहसील कार्यालय में दर्ज हुआ मूल रिकार्ड देखने से ज्ञात नही होता है ना ही कब उसे पटवारी हल्का को जांच हेतु किस पत्र क्रमांक व दिनांक से प्रेषित किया गया तथा यह कब पटावरी हल्का से प्राप्त हुआ इसकी कोई जानकारी नही है। सीधे ही पटवारी हल्का व भू.अ.नि. की रिपोर्ट होने से प्रकरण में मिली भगत की आंशका प्रतीत होती है। विभाजन पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.04.2014 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा दिनांक 28.04.2014 को तहसील कार्यालय से विभाजन पत्र जारी हुआ है। विभाजन पत्र पर उभयपक्षों के हस्ताक्षर है। विभाजन पत्र के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि विभाजन पत्र पर उभयपक्षों के हस्ताक्षर है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से की भूमि को कम करने की सहमति व्यक्त करना समझ से परे है। तहसीलदार, चौमूं का विभाजन में रकबा कम करने का कोई अधिकार नही था ना ही विभाजन पत्र में ऐसा कोई कारण अंकित किया गया है जिससे अपीलान्ट की भूमि कम की गई हो।

Scanned with CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 (2) (ख) के प्रावधानों के तहत सहमति के आधार पर कृषि जौत के विभाजन की व्यवस्था करने के दो तरीके सुझाये गये है (1) सह अभिधारियों के मध्य करार द्वारा तथा (2) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश द्वारा। जौत के विभाजन के राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955 की अध्याय 4 में उल्लेखित नियम 18 के अनुसार एक जौत के विभाजन तथा लगान के बंटवारे का सहखातेदारान/सहअभिधारियों द्वारा किया गया करार तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा। हस्तगत प्रकरण में बिन्दु सं0 1 के अनुसार प्रकरण तहसीलदार, चौमूं को प्रस्तुत किया गया है। धारा 53 के प्रावधानों के तहत विभाजन पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त तहसीलदार, चौमूं द्वारा उसे दर्ज कर विभाजन पत्र की प्रक्रिया विधि अनुरूप नही की है। हस्तगत प्रकरण के परीक्षण में यह पाया गया हैं कि वादग्रस्त भूमि में से अपीलान्ट के हिस्से में से भूमि कम कर दी गई है अर्थात् सभी पक्षकारान को समान रूप से भूमि का विभाजन नही किया गया है। इस प्रकार विभाजन में धारा 53 के प्रावधानों की समुचित पालना नही की गई है। हस्तगत प्रकरण में जिस सहमति के आधार पर सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है वह विधि सम्मत नही है। अतः हमारी राय में नैसर्गिक सिद्धान्तों की अनुपालना नही करने के कारण तहसीलदार का निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, चौमूं द्वारा जारी विभाजन के निर्णय दिनांक 28.04.2014 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, चौमूं को प्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों का पालन करते हुए सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत उभयपक्षों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.5.19 को सुनाया गया।

30.5.19

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2019.11.25 17:04:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: